

**न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन**  
**जिला चित्तौड़गढ़**  
**पीठासीन अधिकारी राजेश सुवालका (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या/61/2017 वाद

दायर दिनांक 19.07.2017

**उनवान**

1. देऊ बाई पत्नी जीतू कुम्हार आयु वयस्क निवासी दांता तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
1. शंकर पिता देवजी सुथार आयु वयस्क निवासी दांता तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. पूरणमल पिता देवजी सुथार आयु वयस्क निवासी दांता तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. मु0 नाराणी पत्नी चुन्नीलाल कुम्हार आयु वयस्क निवासी दांता तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. मु0 रूकमणीबाई पत्नी प्रभूलाल कुम्हार आयु वयस्क निवासी दांता तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. मु0 हगामी पत्नी देवीलाल कुम्हार आयु वयस्क निवासी दांता तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
6. चुन्नीलाल पिता ऊंकार कुम्हार आयु वयस्क निवासी दांता तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
7. प्रभूलाल पिता ऊंकार कुम्हार आयु वयस्क निवासी दांता तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
8. बाबूलाल पिता खेमराज गाडरी आयु वयस्क निवासी दांता तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
9. मु0 मांगीबाई बेवा खेमराज गाडरी आयु वयस्क निवासी दांता तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
10. अमरा पिता कालू गाडरी आयु वयस्क निवासी दांता तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
11. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।

उपस्थिति:- अधिवक्ता श्री बालेन्द्र कोठारी  
एकतरफा

-वादी  
-प्रतिवादी सं0 1 से 10

-: वाद पत्र अन्तर्गत 53 आर.टी.एक्ट :-

निर्णय दिनांक: 15.01.2025

**-:निर्णय:-**

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादीया ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के प्रस्तुत कर निम्न निवेदन किया कि मौजा दांता पटवार इल्का करूंकडा तहसील कपासन के हल्के बैरुनी में आ0 न0 889 रकबा 0.27 है0, आ0 न0 892 रकबा 1.45 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 1.72 हेक्ट0 स्थित है, जिसमें वादीया का 1/6 प्रति0 नं0 1, 2 का 2/6, प्रति0 नं0 3, 4 का 1/12, प्रति0 नं0 5 का 1/12, प्रति0 नं0 6, 7 का 1/60 तथा खेमा पिता सोला सुथार का 9/60 हिस्सा दर्ज है, मगर उसकी मृत्यु हो गयी है तथा उसके वारिस प्रति0 नं0 1 व 2 है, तथा अन्य खातेदारी मियाराम पिता सोला सुथार का 1/6 हिस्सा है मगर वह भी लाओलाद फौत हो गया है तथा उसके वारिस प्रतिवादी संख्या 1 व 2 है।

सहायक कलेक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

इसी प्रकार ग्राम दांता पटवार हल्का करुंकडा तहसील कपासन के हल्के बैरुनी में आराजी नम्बर 856 रकबा 0.45 है0, आराजी नम्बर 857 रकबा 0.24 है0, आराजी नम्बर 858 रकबा 0.30 है0 आराजी नम्बर 859 रकबा 0.10 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.17 है0 स्थित है जिसमें वादीया का 3/24 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1, 2 का 2/6, गियाराम-खेमा-वेणीराम पिता सोला सुथार का 3/8 हिस्सा है और इसमें से गियाराम व खेमा की मृत्यु लाओलाद हो गयी। व उसके वारिस प्रतिवादी नं0 1 व 2 है। तथा खेमराज, अमरा पिता कालू गाडरी का 1/6 हिस्सा है व इसमें से भी खेमराज की मृत्यु हो गयी है व उसके वारिस प्रति0 नं0 8 व 9 है, तथा अमरा प्रति0 नं0 10 है।

उक्त आराजीयात का मौके पर विधिवत विभाजन नहीं हो रखा है, अतः काश्त करने में व लगान अदायगी में परेशानी होती है, अतः वादीया अपना हिस्सा पृथक कराना चाहती है और इस हेतु उसने दिगर प्रतिवादीगण को कहा तो वे टालमवाजी करते है। अतः विनाय दावा पैदा हुई जिसकी शुरूआत दिनांक 01.03.2017 से है।

अतः वादीया की प्रार्थना है कि वादपत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादपत्र की कॉलम नं0 1 व 2 में वर्णित ग्राम दांता की खाता नं0 271 में 1/6 हिस्सा व खाता संख्या 285 में 3/24 हिस्सा जो वादीया का है व विभाजन के जरिये वादीया के नाम पर हिस्से व कब्जे के अनुसार विभाजन मिट्टस व बाउण्ड्स द्वारा कराया जाकर वादीया के नाम पर पृथक खाते में दर्ज कराया जाकर पृथक लगान बन्दी कराई जावे, अन्य प्रतिवादीगण अगर चाहें तो उनके खर्चे से उसका विभाजन कराया जावे, अन्य प्रतिवादीगण अगर चाहे तो उनके खर्चे से उनका विभाजन कराया जावे अन्यथा संयुक्त कायम रखी जावे।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 3 से 10 दिनांक 26.09.2017 व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 दिनांक 14.03.2019 को बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

उक्त वाद पत्र में दिनांक 18.02.2021 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई। जिस पर तहसीलदार कपासन द्वारा बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 27.02.2024 से प्रस्तुत की गई। जो दिनांक 20.06.2024 से शाओफाओ की गयी। बहस वादी अधिवक्ता सुनी गई। वकील वादी द्वारा आदेशिका पर तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिग्रही किये जाने में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर हस्ताक्षर किये गये। अतः वादी अधिवक्ता के निवेदन को स्वीकार किया जाकर आज दिनांक 15.01.2025 को वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री इस आशय की दी जाती है की मौजा दांता पटवार हल्का करुंकडा तहसील कपासन के हल्के बैरुनी में आओ नओ 889 रकबा 0.27 है0, आओ नओ 892 रकबा 1.45 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 1.72 हेक्ट0 तथा ग्राम दांता पटवार हल्का करुंकडा तहसील कपासन के हल्के बैरुनी में आराजी नम्बर 856 रकबा 0.45 है0, आराजी नम्बर 857 रकबा 0.24 है0, आराजी नम्बर 858 रकबा 0.30 है0 आराजी नम्बर 859 रकबा 0.10 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.17 है0 स्थित है में तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 27.02.2024 के अनुसार निम्नानुसार बटवाडा किया जाता है-

### खाता संख्या 271

- देऊबाई पत्नी जीतु जाति कुम्हार साओ देह खातेदार हिस्सा पूर्ण

क.स.	आओसओ	रकबा (है0)	किस्म
1	892 / 1	0.28	बीओ2
	कुल किता-01	0.28	



गिता पुत्री देवजी जाति सुथार हिस्सा 43/3600 साओदेह खातेदार, चुन्नीलाल पुत्र ऊंकार जाति कुम्हार हिस्सा 143/14400 साओ देह खातेदार, डालीबाई पुत्री सोला जाति सुथार हिस्सा 43/720 साओ देह खातेदार, दिनेशचन्द्र पुत्र गेहरीलाल जाति सुथार हिस्सा 119/600 साओदेह खातेदार, धापुबाई पत्नी देवजी जाति सुथार हिस्सा 43/3600 साओदेह खातेदार, नाराणी पत्नी

क्यापसन कलेक्टर  
(उपपण्ड अधिकारी)  
कपासन जिला जयपुर

चुन्नीलाल जाति कुम्हार हिस्सा 71/1440 सा० देह खातेदार, पूरणमल पुत्र देवजी जाति सुथार हिस्सा 77/360 सा० देह खातेदार, प्रभुलाल पुत्र उंकार जाति कुम्हार हिस्सा 143/14400 सा० देह खातेदार, बन्नी पुत्री देवजी जाति सुथार हिस्सा 43/3600 सा० देह खातेदार, मियाराम पुत्र सोला जाति सुथार हिस्सा 143/720 सा० देह खातेदार, रूकमणी बाई पत्नी प्रभुलाल जाति कुम्हार हिस्सा 71/1440 सा० देह खातेदार, वेणीराम पुत्र सोला जाति सुथार हिस्सा 43/720 सा० देह खातेदार, शंकर पुत्र देवजी जाति सुथार हिस्सा 43/3600 सा० देह खातेदार, हगामी पत्नी देवीलाल जाति कुम्हार हिस्सा 149/1440 सा० देह खातेदार

क.स.	आ०स०	रकबा (है०)	किस्म
1	889	0.27	बारानी 3
2	892 मीन	1.17	बी०२
योग	कुल किता-02	1.44	

### खाता संख्या 275

3. देऊबाई पत्नी जीतु जाति कुम्हार सा० देह खातेदार हिस्सा पूर्ण

क.स.	आ०स०	रकबा (है०)	किस्म
1	856 / 1	0.14	बारानी 2
योग	कुल किता-01	0.14	

4. गीता पुत्री देवजी जाति सुथार हिस्सा 1/103 सा० देह खातेदार,, डालीबाई पुत्री सोला जाति सुथार हिस्सा 49/1030 सा० देह खातेदार, धापुबाई पत्नी देवजी जाति सुथार हिस्सा 1/103 सा० देह खातेदार, पूरणमल पुत्र देवजी जाति सुथार हिस्सा 176/515 सा० देह खातेदार, बन्नी पुत्री देवजी जाति सुथार हिस्सा 1/103 सा० देह खातेदार, बाबुलाल पुत्र खेमराज हिस्सा 33/1030 जाति गाडरी सा० देह खातेदार, भगुबाई पुत्री खेमराज हिस्सा 33/1030 जाति गाडरी सा० देह खातेदार, भगवानी पत्नी पूरणमल हिस्सा 99/1030 जाति सुथार सा० देह खातेदार, मांगीबाई पत्नी खेमराज हिस्सा 33/1030 जाति गाडरी सा० देह खातेदार, मियाराम पुत्र सोला जाति सुथार हिस्सा 147/1030 सा० देह खातेदार, वेणीराम पुत्र सोला जाति सुथार हिस्सा 49/1030 सा० देह खातेदार, शंकर पुत्र देवजी जाति सुथार हिस्सा 41/206 सा० देह खातेदार,

क.स.	आ०स०	रकबा (है०)	किस्म
1	856 मीन	0.31	बारानी 2
2	857	0.24	बारानी 2
3	858	0.30	बारानी 2
4	859	0.18	बारानी 2
योग	कुल किता-04	1.03	



तदनुसार अंकन हो। रहन बदस्तुर रहे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगें, अंतिम पर्या डिक्ली जारी हो व पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 15.01.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश सुवालका)  
सहायक क्लर्क व  
उपखण्ड अधिकारी  
कानून विभाग, जिला चित्तौड़गढ़